प्रेस विज्ञप्ति दिनांक: 10.03.2026

थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली

🔷 **थाना सैयदराजा पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में 01 ट्रक वाहन से कागज की गुल्ली (जिसमें धागा लपेटा जाता है) के नीचे छिपाकर दादरी नोएडा से परिवहन कर बिहार राज्य ले जाए जा रहे 849 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (कुल मात्रा 7473.36 लीटर) बरामद कर 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

🔷 **बरामद अवैध शराब की अनुमानित कीमत 01.40 करोड़ रुपये।**

चन्दौली- अपर पुलिस महामहानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया व पुलिस उपमहानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी श्री वैभव कृष्ण के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद मे अवैध शराब की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर व क्षेत्राधिकारी सदर देवेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष सैयदराजा अशोक कुमार मिश्रा, स्वाट टीम प्रभारी निरीक्षक रामजनम यादव व सर्विलान्स टीम की संयुक्त कार्यवाही में मुखबिर की सूचना पर NH-19 हाइवे पर स्थित ग्राम जेठमलपुर काले पीर बाबा मजार के पास से चेकिंग के दौरान ट्रक सं0 RJ14JQ3205 से 849 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (कुल मात्रा 7473.36 लीटर) बरामद कर 02 शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस कार्यवाही-

दिनांक 09.03.2026 को थाना सैयदराजा पुलिस टीम व प्रभारी निरीक्षक रामजनम यादव व सर्विलान्स टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर NH-19 हाइवे पर स्थित ग्राम जेठमलपुर काले पीर बाबा मजार के पास से चेकिंग की जा रही थी चेकिंग के दौरान लगभग 25-30 मिनट के बाद एक कन्टेनर ट्रक नं0 RJ14JQ3205 चन्दौली की तरफ से आता दिखाई दिया चेकिंग कर रही पुलिस टीम द्वारा ट्रक को रोक लिया गया ट्रक की तलाशी के दौरान ट्रक में आगे की तरफ कागज से बनी हुयी गुल्ली (जिसमें धागा लपेटा जाता है) रखी गयी थी अंदर चेक किया गया तो ट्रक में से कुल 849 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (कुल मात्रा 7473.36 लीटर) बरामद किया गया जिस पर "For Sale in Punjab Only" अंकित था। साथ ही ट्रक के चालक व परिचालक को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान (चालक)- हरिश्चन्द्र पुत्र ओम प्रकाश निवासी ग्राम नगला इतवारी थाना भोगांव जनपद मैनपुरी उम्र लगभग 28 वर्ष व (परिचालक) अंकित पुत्र सुरेश चन्द्र निवासी ग्राम मिसौरा थाना भोगाव जनपद मैनपुरी के रुप में हुई।

ट्रक वाहन (RJ14JQ3205) को धारा 207 MV Act के अंतर्गत सीज किया गया है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना सैयदराजा पर मु0अ0सं0 77/2026 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1 चालक- हरिश्चन्द्र पुत्र ओम प्रकाश निवासी ग्राम इतवारी थाना भोगाँव जनपद मैनपुरी ।

2.परिचालक- अंकित पुत्र सुरेश चन्द्र निवासी ग्राम मिसौरा थाना भोगाव जनपद मैनपुरी ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-77/2026 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली ।

(गिरफ्तार अभियुक्त के अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पुलिस द्वारा आवश्यक जानकारी की जा रही है।)

बरामदगी विवरण-

1.02 मोबाइल फोन

2.ROYAL STAGE (180 ML)– 49 पेटी (423.36 लीटर),

3.ROYAL STAGE (375 ML)– 55 पेटी (495 लीटर),

4.ROYAL STAGE (750 ML)– 55 पेटी (495 लीटर,

5.IMPERIAL BLUE (180 ML)– 100 पेटी (840 लीटर),

6.IMPERIAL BLUE (375 ML)– 195 पेटी (1755 लीटर),

7.IMPERIAL BLUE (750 ML)– 145 पेटी (1305 लीटर),

8.BLUE STAR (180 ML) – 250 पेटी कुल 2160 लीटर

9.01 ट्रक (RJ14JQ 3205)

कुल 849 पेटी में 7473.36 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब जिसकी अनुमानित कीमत 1.40 करोड़ रुपये।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्रा थाना सैयदराजा

उ0नि0 राजेश कुमार

का. शंकर प्रसाद

का. वृजेश चौहान

चालक बिरेश यादव

<u>स्वाट टीम/सर्विलांस टीम-</u>

स्वाट टीम प्रभारी निरीक्षक रामजनम यादव

हे0का0 अरविन्द कुमार यादव

हे0का0 राणाप्रताप सिंह

हे0का0 रामानन्द यादव

हे0का0 विजेन्द्र कुमार सिंह

हे0का0 आशुतोष सिंह

हे0का0 आनन्द सिंह

हे0का0 प्रेमप्रकाश यादव

हे0का0 मन्टू सिंह

का0 अजीत सिंह

का0 नीरज कुमार मिश्रा

का0 मनीष कुमार

का0 संदीप कुमार